COURT FEE INDIA TEN RUPEES दस रुपये भारत

73

माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू ग्वालियर केम्प उज्जैन नि० – 1830 – PBR-16

प्र0क्र0 / 16 नि.रे.

भोपालसिंह पिता रणजीतसिंह आयु 80 साल जाति खाती निवासीग्राम हन्नूखेडी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर ....आवेदक

विरूद्ध

1 कलाबाई पत्नी रमेशचंद्र पुत्री भोपालसिंह जाति खाती आयु 32 साल निवासीग्राम खामखेडा तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

श्री वी० के० गुप्ता अभि० द्वारा उज्जैन केम्प पर 31-5-16 को प्रस्तुत 31-5-16

2. धापूबाई पत्नी तुलसीराम पुत्री भोपाल सिंह जाति खाती आयु 40 साल निवासीग्राम पोलायकलॉ तहसील पोलायकलॉ

3. जयनारायण पिता तुलसीराम आयु 33 साल जाति खाती निवासीग्राम हन्नूखेडी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर ....अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 66 / 14–15 अपील कलाबाई विरूद्ध धापूबाई आदि में पारित आदेश दिनांक 10–5–2016 को जो कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय शुजालपुर द्वारा पारित किया गया है। से दुखि एवं परिवेदित होकर यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता /प्रार्थी की और से निम्नानुसार

निरन्तर 2

आवेदनपत्र पेश हे :–

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1830-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	